राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 310/2014
GCMS NO.- 2014/00300

1. भूरेलाल } पुत्रान भजू उर्फ भज्जाराम जाति अहीर निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ
2. लालाराम } जिला झुंझुनूं।

.....वादीगण

बनाम

1. बद्रीप्रसाद पुत्र भजू उर्फ भज्जाराम जाति अहीर निवासी खेडकी तहसील व जिला महेन्द्रगढ
2. मु. सावित्री पुत्री भजू उर्फ भज्जाराम स्त्री मनफुल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना
3. मु0 राकोर पुत्री भजू उर्फ भज्जाराम स्त्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना
4. मु. छोटा पुत्री भजू उर्फ भज्जाराम स्त्री लीलाराम जाति अहीर निवासी बडबर तहसील बुहाना
5. मु0 बिल्ला पुत्री भजू उर्फ भज्जाराम स्त्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी बडबर तहसील बुहाना
6. मु0 रमेश पुत्री भजू उर्फ भज्जाराम स्त्री विनोद जाति अहीर निवासी लहरोदा तहसील नारनौल हरियाणा
7. शेरसिंह } पुत्रान हरसहाय जाति अहीर निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ
8. कृष्ण } जिला झुंझुनूं।
9. मनफुल }
10. मु0 रामकलां पुत्री हरसहाय स्त्री महेन्द्र जाति अहीर निवासी ढाणी ढोला तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
11. मु0 कबुल पुत्री हरसहाय स्त्री मूलचंद्र जाति अहीर निवासी ढाणी ढोला तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
12. मु0 सन्तोष पुत्री हरसहाय स्त्री जगताराम जाति अहीर निवासी अकोदा तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 23/07/21

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता– श्री संदीप मान एडवोकट
2. प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता – श्री सुरेन्द्र सिंह तंवर एडवोकेट

वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

1. यह है कि रामनारायण, तोताराम, भजु उर्फ भज्जाराम, हरसहाय सगे भाई थे। ग्राम खेडकी हरियाणा के रहने वाले थे। करीब 46 वर्ष पहले ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ में जमीन गत खसरा नम्बर 44/2 रकबा 24 बीधा जरिये विक्रय पत्र चारो भाईयों ने बहिस्सा बराबर क्रय की और काबिज काश्त हो गये जिसका कोई विवाद नही है। उक्त हरसहाय व भजु उर्फ भज्जाराम पुत्रान जिसुख ने जमीन गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा वाके ग्राम लोटिया बहिस्सा बराबर उमराव यादव से दिनांक 22.12.1967 को 1400/– रूपये के प्रतिफल की एवज में जरिये विक्रय पत्र क्रय की तथा उक्त विक्रय पत्र उपपंजियन अधिकारी चिडावा द्वारा तस्दीक किया गया। इस प्रकार दोनो भाईयों अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हो गये। भजु उर्फ भज्जाराम की उक्त अर्जित भूमि थी। भजु उर्फ भज्जाराम का देहान्त दिनांक 02.05.2009 को हो गया तथा हरसहाय का देहान्त दिनांक 07.06.2013 को हो गया। भजु उर्फ भज्जाराम के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लडके व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 लडकियां है। हरसहाय के प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 वारिस है।
2. यह है कि गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0. 60 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. बने है।
3. यह है कि जमीन वर्णित खण्ड 2 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता भजु उर्फ भज्जाराम ने जरिये विक्रय पत्र हिस्सा 1/2 क्रय किया। इस प्रकार उक्त भजु उर्फ भज्जाराम की जमीन वर्णित खण्ड 2 में हिस्सा 1/2 स्वयं अर्जित भूमि है। जमीन खसरा नम्बर 39 का नामान्तकरण संख्या 150 दिनांक 28.02.1970 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत लोटिया ने व पटवारी हल्का व कर्मचारियों ने गलती से अकेला हरसहाय के नाम तस्दीक कर दिया। जबकि विक्रय पत्र दिनांक 22.12.1967 के आधार पर हरसहाय व भज्जाराम [illegible] करना चाहिए था। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 150 में गत [illegible] 39 के बाबत हरसहाय के अकेले के गलत दर्ज कर दिया [illegible] वादीगण अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

4. यह है कि भज्जाराम ने अपनी चल व अचल सम्पति का विभाजन अपने जीवनकाल में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 में कर दिया था। इस प्रकार ग्राम लोटिया की समस्त चल व अचल सम्पति वादीगण के पिता भज्जाराम ने वादीगण को दे दी तथा ग्राम खेडकी की समस्त चल व अचल सम्पति प्रतिवादी संख्या 1 को दे दी। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को नगदी व जेवरात दे दिये। इस प्रकार ग्राम लोटिया की चल व अचल सम्पति वादीगण को बहिस्सा बराबर दे दी और जमीन जैर बहस को वादीगण काश्त करने लग। ग्राम खेडकी की जमीन प्रतिवादी सं. 1 काश्त करने लगा। इस प्रकार अपने पुत्रों में कभी विवाद न हो इसलिए विभाजन के अनुसार एक वसीयत दिनांक 01.05.2009 को गवाहान के मध्य तहसीलदार महेन्द्रगढ से पंजीयन करवाई गई। उक्त वसीयत प्रथम व अंतिम है। वसीयत के अनुसार जमीन वर्णित खण्ड 2 वाद पत्र वादीगण को 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से मिली।

5. यह है कि वर्णित खण्ड 2 वाद पत्र अकेला हरसहाय के नाम राजस्व कर्मचारियो/अधिकरियों की गलती से दर्ज हो गई। उक्त गलत रिकार्ड वादीगण के अधिकरो के खिलाफ शुन्य व बेअसर है। हरसहाय के देहान्त होने के कारण उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 होने से पक्षकार बनाये गये है।

6. यह है कि ग्राम लोटिया में उक्त भज्जाराम ने जमीन गत खसरा नम्बर 44/2 रकबा 24 बीधा भी अपने भाईयों के शामिल में 1/4 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र क्रय किया जिसका नामान्तकरण उक्त भजु उर्फ भज्जाराम के वसीयत के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज होने में कोई विवाद नही है।

7. यह है कि दिनांक 04.06.2014 को वादीगण हल्का पटवारी से उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए कहा तो हल्का पटवारी ने एक खाते की जमीन तो वादीगण के हक में नामान्तकरण दर्ज की हां कर दी लेकिन जमीन वर्णित खण्ड 2 वाद पत्र के बाबत अदालत हाजा से आदेश लाने बाबत कहां और राजस्व रिकार्ड देखकर बताया कि जमीन जैर बहस का राजस्व रिकार्ड अकेले हरसहाय के नाम दर्ज है इसलिए पहले वादीगण के पिता के नाम दर्ज करवाना होगा। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 को राजस्व रिकार्ड दुरूसत करवाने कहा तो वे साफ इन्कार हो गये ।

वादीगण ने वाद पत्र पेश अनुतोष चाहा है कि:–

(क). वाके ग्राम लोटिया स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. मे से वादीगण का 1/2 हिस्सा के टिनेन्टस (सह आसामी) है और इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रतिवादी सं. 13 को दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

(ख). कि प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे जमीन जैर बहस को किसी को विक्रय, रहन, खुर्द बुर्द नही करे, वादीगण को उनके हिस्से की भूमि में फसल काश्त करने लाट बाट करने एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा कारित नही करे।

(ग). कि जमीन ग्राम लोटिया स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. मुताबिक घोषणा खाता विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। बाद विभाजन प्रस्ताव आने पर अंतिम डिक्री जारी की जाकर लगान अलग अलग कायम किया जाकर खतौनी अलग अलग जारी की जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल की गई। प्रतिवादी सं. 7, 8, 9 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह तंवर एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से इकबालिये जबाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 का जबाव पेश कर अतिरिक्त उत्तर रहा कि– भूमि खसरा नम्बर 44/2 रकबा 24 बीघा , खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा दोनो ही भूमि खसरा नम्बर 44/2 व खसरा नम्बर 39 एक ही आदमी से क्रय की हुई है। भूमि खसरा नम्बर 44/2 रकबा 24 बीघा चारो भाईयों रामनारायण, तोताराम, भजाराम, हरसहाय पुत्र जीसुखराम ने खरीदी थी । भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा अकेले हरसहाय के पैसे से खरीदी थी। इन दोनो खेतो की अलग–अलग रजिस्ट्री करवाई गई थी। खसरा नम्बर 44/2 रकबा 24 बीघा का कोई विवाद नही है। चारों भाईयों अपना–अपना बंटवारा बराबर–बराबर किया है। खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा जब तक भजाराम व हरसहाय जीवित थे कोई विवाद नही क्योकि भजाराम चतुर चालक व्यक्ति था और हरसहाय अनपढ व सामान्य भोला भाला किस्म का व्यक्ति था और अनसमझ में रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया था। परन्तु गांव का समाज और भजाराम हरसहाय के रिस्तेदार व इन दोनो भाईयों के दो और भाई रामनारायण, तोताराम ने भजाराम को समाज जाति से बाहर रखने व विवाह शादी में बुलाना बन्द कर दिया क्योकि इसने सरेआम हरसहाय के साथ बहुत बडा अन्याय करके बेमाईनी से जमीन खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा में हिस्सा [illegible] अपने नाम रजिस्ट्री में लिखवा लिया था। भजाराम कही भी जाता था लोग बोलने [illegible] थे। जब दिनांक 28.02.1970 में उक्त भूमि का इन्तकाल दर्ज हुआ तब भजाराम ने [illegible] चारो भाईयों व ग्राम पंचायत की मिटिंग के सामने यह स्वीकार कर लिया था कि इस भूमि खसरा नम्बर 39 की कीमत अकेले हरसहाय ने ही दी थी। और उसी के नाम इन्तकाल कर दिया जावे। मुझे

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

कोई आपत्ति नही है। क्योकि मुझें समाज रहना है। इन्काल अपनी सहमति से अकेले हरसहाय के नाम इन्तकाल दर्ज करवा दिया है। खसरा नम्बर 44/2 का इन्तकाल चारो भाईयों के नाम दर्ज करवाया गया। दिनांक 28.02.1970 को भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा पर अकेले हरसहाय का कब्जा काश्त था। उस समय दोनो भाईयों में इस सम्बन्ध मे कोई विवाद नही था। हरसहाय व भजाराम के फौत होते ही उसके बाद भजाराम के पुत्रों का उक्त भूमि खसरा नम्बर 39 की रजिस्ट्री का पता चला कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री भजाराम व हरसहाय दोनो के नाम से है। तो भजाराम के वारिस भूरेलाल, लालाराम, बदरी प्रसाद आदि के मन में लालच आ गया की बिना कीमत दिये ही अपने को भूमि खसरा नम्बर 39 की भूमि मिल जायेगी। उक्त लोगो ने उक्त रजिस्ट्री के आधार पर न्यायालय में झुठा दावा पेश किया है। भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा मौजा लोटिया का इन्तकाल 28.02.1970 को अकेले हरसहाय के नाम भजाराम की सहमति से भरा गया था। क्योकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि हरसहाय ने ही खरीदी थी। अतः जबाव दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न पर्चा तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण जमीन हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.60 है.खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. वाके ग्राम लोटिया स्थित में 1/2 हक हिस्से के कोटिनेट (सहआसामी) की धोषणा करवाने के अधिकारी है।

.... भार वादी

2. आया वादीगण धोषणा के मुताबिक विभाजन करवाने के अधिकारी है। **....... भार वादी**
3. आया वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 7 लागयत 12 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाने के अधिकारी है।

.... भार प्रतिवादी

4. आया वादीगण का दाव वादकारण के अभाव में खारीज होने योग्य है।

......भार प्रतिवादी सं. 7 लगायत 12

वादीगण की ओर से साक्ष्य दस्तावेजो में असल विक्रय पत्र, नकल जमाबंदी सम्वत् 2023–26, जमाबंदी सं. 2031–35, जमाबंदी सम्वत 2044– 63, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा किरतवार, जमाबंदी सम्वत 2068– 71, गिरदावरी सम्वत 2068–71,, फोटो काफी वसीयत, असल प्रार्थना पत्र दिनाक 29.05.1992, असल शपथ पत्र दिनांक 29.05.1992। मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लु–1 भूरेलाल, पी. डब्लु –2 लालाराम के शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर मौखिक साक्ष्य में डी ... ोरसिंह, डी. डब्लू–2 कृष्ण, डी. डब्लू – 3 मनफुल शपथ पत्र पेश ... गये।

बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

8. तनकी सं. 1 , 2 व 3 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। इन दोनों तनकीयों को साबिक करने का भार वादीयागण पर रहा। पक्षकारान द्वारा उपर्युक्तानुसार लिखित व मौखिक साक्ष्य पेश किए गए। बहस दावे के अभिवचनों व साक्ष्यों के सन्दर्भ में रही। जिसका विवेचन निम्नानुसार है। (1). वाद वर्णित भूमि के साबिक जमीन गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा वाके ग्राम लोटिया बहिस्सा बराबर उमराव यादव से दिनांक 22.12.1967 को 1400/- रूपये के प्रतिफल की एवज में जरिये विक्रय पत्र कय की गई थी। दोनो भाईयों अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हो गये। जिनके नये खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. बने है। वाद वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता भजु उर्फ भज्जाराम ने जरिये विक्रय पत्र हिस्सा 1/2 क्रय किया। भजु उर्फ भज्जाराम का हिस्सा 1/2 स्वयं अर्जित भूमि है। जमीन खसरा नम्बर 39 का नामान्तकरण संख्या 150 दिनांक 28.02.1970 को विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत लोटिया ने व पटवारी हल्का व कर्मचारियों ने गलती से अकेला हरसहाय के नाम तस्दीक कर दिया। जबकि विक्रय पत्र दिनांक 22.12.1967 के आधार पर हरसहाय व भज्जाराम दोनो के नामान्तकरण दर्ज करना चाहिए था। प्रदर्श-1 में उक्तानुसार दर्ज रहे हैं। वादीगण भजाराम के वारिस होने के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी चाह रहे है। यह भी साबित है कि वादीगण भजाराम के वारिस है। (2). प्रतिवादीगण व इनके पूर्वज हरसहाय ने तथ्यों को छुपाकर सम्पूर्ण आराजी मुतनाजा को अकेले अपने नाम करवा लिया। वादीगण की ओर से साक्ष्य में पी.डब्लु-1 भूरेलाल, पी. डब्लू -2 लालाराम, के शपथ पेश कर परिक्षित करवाए गए। जिन्हाने जिरह में भी वाद के तथ्यों की पुष्टि की है। वादीगण की ओर से ग्राम लोटिया तहसील सुरजगढ में पक्षकारान के पूर्वज हरसहाय, भजाराज के नाम से स्थित भूमि क्रय की गई थी। पंजीकृत विक्रय पेश की हैं। जिससे साबित है कि वादीगण मृतक भजाराम की भूमि में वारिस के तौर पर 1/2 हिस्से की अधिकारी है। पी.डब्लु-1 भूरेलाल अपनी जिरह में कहा कि रामनारायण, तोताराम, भजु उर्फ भज्जाराम, हरसहाय सगे भाई थे। ग्राम खेडकी हरियाणा के रहने वाले थे। करीब 46 वर्ष पहले ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ में जमीन गत खसरा नम्बर 42/2 रकबा 24 बीधा जरिये विक्रय पत्र चारो भाईयों ने बहिस्सा बराबर क्रय की और काबिज काश्त हो गयै जिसका कोई विवाद नही है। उक्त हरसहाय व भजु उर्फ भज्जाराम पुत्रान जिसुख ने जमीन गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा वाके ग्राम लोटिया बहिस्सा बराबर उमराव यादव से दिनांक 22.12.1967 को 1400/- रूपये के प्रतिफल की एवज में जरिये विक्रय पत्र क्रय की तथा उक्त विक्रय पत्र पंजियन अधिकारी चिडावा द्वारा तस्दीक किया गया। इस प्रकार दोनो भाईयों अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हो गये। भजु उर्फ भज्जाराम की उक्त अर्जित भूमि थी। भजु उर्फ भज्जाराम का देहान्त दिनांक 02.05.2009 [illegible] गया तथा हरसहाय का देहान्त दिनांक 07.06.2013 को हो गया। भजु उर्फ भज्जाराम के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लडके व [illegible] 6 लडकियां है। हरसहाय के प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 वारिस है। गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. बने है। जमीन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता भजु उर्फ भज्जाराम ने जरिये विक्रय पत्र हिस्सा 1/2 क्रय किया। इस प्रकार उक्त भजु उर्फ भज्जाराम में हिस्सा 1/2 स्वयं अर्जित भूमि है। जमीन खसरा नम्बर 39 का नामान्तकरण संख्या 150 दिनांक 28.02.1970 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत लोटिया ने व पटवारी हल्का व कर्मचारियों ने गलती ये अकेला हरसहाय के नाम तरदीक कर दिया। जबकि विक्रय पत्र दिनांक 22.12.1967 के आधार पर हरसहाय व भज्जाराम दोनो के नामान्तकरण दर्ज करना चाहिए था। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 150 में गत खसरा नम्बर 39 के बाबत हरसहाय के अकेले के गलत दर्ज कर दिया जिसको दुरूस्त करवाने वादीगण अधिकारी है। (3) प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में कोई दस्तावेजात पेश नही किये गये, ना ही प्रदर्शित करवाए गए। मौखिक साक्ष्य में डी डब्लू –1 शेरसिंह, डी. डब्लू–2 कृष्ण, डी. डब्लू – 3 मनफुल शपथ पत्र पेश किया गया। अन्य कोई स्वतन्त्र गवाह पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी डी डब्लू – 1 ने जिरह में स्वीकार किया कि वादीगण भजाराम के वारिस है। उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा हरसहाय व भजाराम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.02.1970 को क्रय की गई है। किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण अकेले हरसहाय के नाम दर्ज किया गया क्योकि उक्त भजाराम के सहमति से दर्ज किया है। दिनांक 28.02.1970 को भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा पर अकेले हरसहाय का कब्जा काश्त था। उस समय दोनो भाईयों में इस सम्बन्ध में कोई विवाद नही था। हरसहाय व भजाराम के फौत होते ही उसके बाद भजाराम के पुत्रों का उक्त भूमि खसरा नम्बर 39 की रजिस्ट्री का पता चला कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री भजाराम व हरसहाय दोनो के नाम से है। तो भजाराम के वारिस भूरेलाल, लालाराम, बदरी प्रसाद आदि के मन में लालच आ गया की बिना कीमत दिये ही अपने को भूमि खसरा नम्बर 39 की भूमि मिल जायेगी। उक्त लोगो ने उक्त रजिस्ट्री के आधार पर न्यायालय में झुठा दावा पेश किया है। भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीधा 6 बिस्वा मौजा लोटिया का इन्तकाल 28.02.1970 को अकेले हरसहाय के नाम भजाराम की सहमति से भरा गया था। क्योकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि हरसहाय ने ही खरीदी थी। जिन्हाने जिरह में भी वाद के तथ्यों की पुष्टि की है। (4) वादीगण की ओर से विभाजन का अपना अनुतोष वापिस ले लिया गया। इस लिए तनकी 2 का विवेचना करना कोई औचित्य नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं. 1 व 3 बहक वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4: इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 7 से 12 पर रहा। वस्तुतः यह तनकी विधिक तनकी है। नामान्तरकरण के आधार पर किसी तरह के अधिकार सृजित नहीं होते हैं। न ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए कोई समय सीमा है। दावा खातेदारी घोषणा का है न की नामान्तरकरण को निरस्त करने का है। कब्जे काश्त का प्रशन विरासती आधार पर घोषणा में लागु नही होता। वादीगण की कब्जा काश्त साबित है। प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी निर्णित की जाती है। तनकी सं. 5 वादीगण के पक्ष में निर्णित हुई है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अत पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि पक्षकारान व उनके पूर्वजो हरसहाय व भजु उर्फ भज्जाराम द्वारा वाके ग्राम लोटिया स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.12.1967 को क्रय की गई थी। किन्तु उक्त विक्रय पत्र का नामन्तकरण दर्ज केवल हरसहाय के पक्ष में दर्ज किया गया। गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है बनाये गये। (2) गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा हरसहाय व भजु उर्फ भज्जाराम द्वारा क्रय की गई है। अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत वसीयत के मुताबिक न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लोटिया स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है में वादीगण को 1/2 बहिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक धोषणा के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो वादीगण को प्राप्त होने वाले 1/2 हिस्से को रहन मुक्त कर शेष 1/2 हिस्से में रखा जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 23/07/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 310/2014

निर्णय दिनांक :– 23/07/21

भूरेलाल आदि बनाम बद्रीप्रसाद आदि

दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से श्री संदीप मान एडवोकेट की एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 की ओर से श्री सुरेन्द्रसिंह तंवर एडवोकेट में आज तारीख 23/07/21 को अभिलाषा अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लोटिया स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.70 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है में वादीगण को 1/2 बहिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक धोषणा के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो वादीगण को प्राप्त होने वाले 1/2 हिस्से को रहन मुक्त कर शेष 1/2 हिस्से में रखा जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23/07/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन सहायक कलक्टर,सूजरगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner